



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2012/चैत्र 10, 1934

No. 149]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2012/CHAITRA 10, 1934

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सा.का.नि. 267(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.—उक्त अनुसूची में वर्णित पदों पर ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रकाशन से पहले उनके द्वारा उक्त पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये उनकी पात्रता पर विनिश्चय करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7/12/12

ESM

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नेटवर्क प्रशासक	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/संक्रिया अनुसंधान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री। (ii) नेटवर्क प्रशासन-सह-हार्डवेयर प्रबंध में 10 वर्ष का अनुभव। (iii) सूचना तंत्र के लिए -इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण कार्य का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव डिजाइन, विकास या कम्प्यूटरीकृत सूचना संचयन की व्यवस्था और पुनःप्राप्ति तंत्र में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में हो। टिप्पण I - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण II - अनुभव संबन्धी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। वांछनीय (i) इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या आवश्यक के अधीन उपरोक्त (i) में किसी भी विषय में डाक्टरेट (ii) तंत्र विश्लेषण या उच्च कम्प्यूटर प्रणाली में प्रशिक्षण

						(iii) निम्नलिखित क्षेत्र में एक वर्ष या एक से अधिक वर्ष का अनुभव :- (क) आंकड़ा-आधार सूचना प्रबंध तंत्र के विकास (ख) कम्प्यूटर आप्टीमाइजेशन समस्या के समाधान अर्थात् लाइनर प्रोग्रामिंग, मिश्रित इंटेजर प्रोग्रामिंग । (ग) कम्प्यूटर आपरेशन प्लानिंग माडल्स के समाधान ।
--	--	--	--	--	--	---

पृष्ठ संख्या 3(1)

पत्र का प्रकार : संसाधन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अर्वाधे, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8) लागू नहीं होता	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	(10) प्रतिनियुक्त/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्त /आमेलन :-</b></p> <p>केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जो मूल कांडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल कांडर/विभाग में वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं ।</p> <p><b>टिप्पण I :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p><b>टिप्पण II :</b> प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्त के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/ वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापित ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन आई ए) - अध्यक्ष</li> <li>2. अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन आई ए) - सदस्य</li> <li>3. संयुक्त सचिव/निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।</p>

[फा. सं. 21011/1/2010-आईएस-1]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2012

**G.S.R. 267(E).**— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' & 'B' posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.** -- These rules shall apply to the post mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and scale of pay.** -- The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.** -- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

H-745912-2

भाग II—खण्ड 3(1)

भाग का नाम : अधिसूचना

5. **Initial Constitution.** – The incumbents of the posts mentioned in the said Schedule who on the date of publication of these rules are holding the post on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said publication shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

6. **Disqualification.** – No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7. Network Administrator</b>	*01 (2011) * Subject to variation dependent workload of	General Central Service Group-'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600-39100/- with Grade pay of Rs.7600/-	Not Applicable	Age not exceeding 50 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)  <b>Note:</b> - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Essential -</b> (i) Masters' Degree in Statistics/Mathematics/Operations Research/Physics or Economics/Commerce or Degree in Engineering/Computer Science of a recognised University.	Not Applicable	One year for direct recruits.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment.	<b>Deputation/absorption:-</b> Officers under the Central Government/State Government/Union Territories:-  (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, or  (ii) With five years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band -3, Pay Scale of Rs. 15600 - 39100/-	Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-  1. Director General, National Investigation Agency (NIA) - - Chairman.  2. Additional	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

भारत - 2011  
[10] 3(1)

भारत का राजपत्र : अधिसूचना

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(ii) 10 years' experience in Network Administration-cum-Hardware Management.</p> <p>(iii) For Information System-10 years' experience of electronic data processing work, out of which at least 5 years' experience should be in a Supervisory capacity in design, development or organising computerised information storage and retrieval system.</p> <p><b>Note-I:</b>Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the</p>				<p>with Grade Pay of-Rs. 6600/- or equivalent in the parent cadre/department, and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.</p> <p><b>Note-I:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department in the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years'. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-II:</b> For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be</p>	<p>Director General/Inspector General, National Investigation Agency (NIA) – Member.</p> <p>3.Joint Secretary/Director (Internal Security), Ministry of Home Affairs - Member</p>	



(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>discretion of the IPSC in the case of candidates belonging to SC and ST, if, at any stage of selection, the candidates of the IPSC are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities assessing the prerequisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable - Masters' Degree in Engineering/Comp puter Science or PhD in any of the subjects in (i) above under the category 'Qualification'. Training in System Analysis or Computer System. Experience of</p>				<p>deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		

[Part II - Table 3(i)]

संश्लेषण : अधिसूचना

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>one or more of the following field:-</p> <p>(a) Development of Data-base management information system.</p> <p>(b) Computer solutions of optimisation problems, e.g. liner programming, mixed integer programming.</p> <p>(c) Computer solutions of operational planning models.</p>						

[F. No. 21011/1/2010-IS-I]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.